निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 33 / 2025
दायरा दिनांकः– 13.05.2025
निर्णय दिनांकः– 27.8.25

उनवान

1. सुरजलाल कंजर उर्फ सूरतसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र किशोर लाल उर्फ किशोर उर्फ किशोरिया जाति कंजर निवासी शंकर कॉलोनी चांचोडा तहसील छबडा हाल निवास ग्राम– शंकर कॉलोनी पटवार हल्का चांचोडा तहसील छबडा जिला बांरा (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारा (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांकः– 27.8.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अखिलेश शर्मा – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0.एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी काश्तकार है, जिसकी शामलाती कृषि भूमि ग्राम हनुवतखेड़ा पटवार हल्का चाचौड़ा तहसील छबड़ा में खाता संख्या 82 / 127 में खसरा नंबर 331 रकबा 0.7714 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.7714 में हिस्सा प्रार्थी का 1 / 5 अवस्थित है। इसी प्रकार से शामलाती कृषि भूमि ग्राम शंकर कालोनी पटवार हल्का चाचौड़ा तहसील छबड़ा में खाता संख्या 79 / 136 में खसरा नंबर 634 रकबा 1.3026 खसरा नंबर 659 रकबा 0.8852 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.1878 में हिस्सा प्रार्थी का 1 / 5 अवस्थित है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी काबिज काश्त है तथा किसी प्रकार से विवादित नही है। काश्तकार के नाम भूमि इन्तकाल जमाबंदी ग्राम हनुवतखेड़ा की आराजी खाता संख्या 82 / 127 खसरा नबंर 331 दर्ज कराते समय बोलता नाम सूरतसिंह पुत्र किशोर दर्ज हो गया है, काश्तकार के नाम भूमि इन्तकाल जमाबंदी ग्राम शंकर कालोनी की आराजी खाता संख्या 79 / 136 खसरा नबंर 634 व 659 में दर्ज कराते समय बोलता नाम सूरतसिंह पुत्र किशोरिया दर्ज हो गया है, उक्त प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त कराना अति आवश्यक है। खातेदार प्रार्थी का व उसके पिता का सही व वास्तविक नाम सुरज लाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कंजर पुत्र किशोरी लाल है जो कि आधार कार्ड, जनआधार व राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया है। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 82 नकल जमाबन्दी ग्राम शंकर कॉलोनी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 79 नकल नामान्तरण नम्बर 261 ग्राम चांचोडा नकल नामान्तरण नम्बर 454 ग्राम हनुवतखेडा पेश किया गया। फोटो प्रति आधार कार्ड बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा व शंकर कॉलोनी तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फोती नमान्तरण खोलतें समय ग्राम चांचोडा की भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम किशोरया व प्रार्थी का नाम सूरतसिंह दर्ज किया गया। इसी प्रकार नामान्तरण नम्बर 454 में प्रार्थी के पिता का फोती नामान्तरण में पिता का नाम किशोर एवं प्रार्थी का नाम सूरतसिंह दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का सही नाम सूरजलाल कंजर पुत्र किशोरीलाल है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम सूरजलाल पुत्र किशोरीलाल है प्रार्थी अपना व अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही करवाना चाहता है प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। जॉच रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि प्रार्थी की शामलाती भूमि ग्राम हनुवतखेडा के खसरा नम्बर 331 रकबा 0.7714 है0 हिस्सा 1/5 स्थित है इसी प्रकार ग्राम शंकर कॉलोनी में खसरा नम्बर 634, 659 कुल किता 2 रकबा 2.1878 है0 हिस्सा 1/5 स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम सूरतसिंह पुत्र किशोरया दर्ज है प्रार्थी के पिता का फोती नामान्तरण नम्बर 621 दिनांक 11.09.1998 ग्राम चांचोडा में दर्ज हुआ नामान्तरण में प्रार्थी का नाम सूरतसिंह दर्ज हुआ। इसी प्रकार ग्राम हनुवतखेडा में नामान्तरण नम्बर 454 दिनांक 11.9.1998 में दर्ज हुआ। जिसमें भी प्रार्थी का नाम सूरतसिंह दर्ज हुआ। फोती नामान्तरण में दर्ज नाम सूरतसिंह तब से वर्तमान जमाबन्दी तक दर्ज चला आ रहा है जो नामान्तरण संख्या 621 ग्राम चांचोडा व नामान्तरण नम्बर 454 ग्राम हनुवतखेडा में दर्ज किया गया था। प्रार्थी के दस्तावेजों की जॉच की गई जिसमें पाया कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम सूरजलाल कंजर पुत्र किशोरीलाल दर्ज है प्रार्थी के बारे में मजमें आम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

से जानकारी की गई जिसमें पाया कि गांव में प्रार्थी का बोलता नाम सूरत्या व सूरज्या है तथा वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सूरतसिंह दर्ज है सूरजसिंह कंजर व सूरतसिंह कंजर पुत्र किशोरया उर्फ किशोरीलाल एक ही व्यक्ति है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हनुवतखेडा सम्यत् 2074–77 खाता संख्या 82 में सूरतसिंह पुत्र किशोर हिस्सा 1/5 जाति कंजर सा0 चांचोडा दर्ज है इसी प्रकार नकल जमाबन्दी ग्राम शंकर कॉलोनी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 79 में सूरतसिंह पुत्र किशोरया हिस्सा 1/5 जाति कंजर सा0 देह दर्ज है नकल नामान्तरण नम्बर 621 दिनांक 11.09.1998 ग्राम चांचोडा में मुताबिक सजरा प्रार्थी के पिता का नाम किशोरया एवं प्रार्थी का नाम सूरतसिंह अंकित है। इसी प्रकार ग्राम हनुवतखेडा के नामान्तरण संख्या 454 दिनांक 11.09.1998 में मुताबिक सजरा प्रार्थी के पिता का नाम किशोर एवं प्रार्थी का नाम सूरतसिंह अंकित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में सूरतलाल कंजर पुत्र किशोरलाल दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के पिता का फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम गलत दर्ज हो गया जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का व प्रार्थी के पिता का सही नाम दर्ज है दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना व पिता का नाम सही करवाना चाहता है। तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में सूरजलाल उर्फ सूरतसिंह पुत्र किशोरया उर्फ किशोरीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेजो एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आ0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा के खाता संख्या 82/127 के खसरा नम्बर 331 रकबा 0.7714 है0 एवं ग्राम शंकर कॉलोनी तहसील छबडा के खाता संख्या 79/136 के खसरा नम्बर 634 रकबा 1.3026 है0 खसरा नम्बर 659 रकबा 0.8852 है0 में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम सूरजलाल उर्फ सूरतसिंह पुत्र किशोरीलाल जाति कंजर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)